

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-01/प्रशि०स्था०-12/2023...../श्र०सं०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300, दिनांक 13.10.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 636 दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारी को कॉलम-05 में अंकित पद (वेतन सहित) का अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम/गृह जिला/आरक्षण कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2024 के अनुसार)	वर्तमान कोटि	अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार (वेतन सहित) देने हेतु पदनाम एवं वेतनमान
1.	2.	3.	4.	5.
1	श्री राकेश रंजन झारखण्ड/अनारक्षित	03	उप निदेशक (प्रशिक्षण) वेतन स्तर-12	संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वेतन स्तर-13

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 19300, दिनांक 13.10.2023 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं० 636 दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अधीन है।

3. अधिसूचना में नामित पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक उनके नाम के सामाने स्तंभ-05 में अंकित पद एवं वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।

4. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप-01/प्रशि०स्था०-12/2023.....64.../श्र०सं०-

पटना-01, दिनांक-15/9/25

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव